महत्वपूर्ण एवं खास

जन सुनवाई में पत्थरबाजी करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम डोलेसरा में पर्यावरण संबंधी जन सुनवाई में शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु लगे पुलिस बल पर ड्यूटी से वापसी के दौरान वहां उपस्थित कुछ असमाजिक तत्वों के उकसाने पर गांव वालों द्वारा पुलिस बल के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए अश्लील गाली गलौच कर पुलिस बल पर हमला किया गया था। घटना के संबंध में थाना तमनार में अप.क्र. 187/19 धारा 353, 332, 506, 109, 147, 148, 153, 186, 294, 323 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। दिनांक 04.10.19 को घटना दिनांक का फुटेज देखकर मौके के गवाहों द्वारा एक आरोपी शोहित चौहान पिता महेन्द्र चौहान उम्र 24 वर्ष निवासी पाता थाना तमनार की पहचान किया गया था। विवेचना दरम्यान आज दिनांक 06.10.19 को घटना का विडियो एवं फोटोग्राफ देखकर गवाहों द्वारा एक आरोपी राकेश भगत पिता प्रेमचरण भगत उम्र 24 वर्ष निवासी पाता तमनार जो गनर जीडी के पद पर आर्मी में कार्यरत है की पहचान घटना दिनांक को पुलिस पर पत्थरबाजी करने के रूप में किया गया है। आरोपी को उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

मोटरसाइकिल पर मंदिर दर्शन करने जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर

न्याय साक्षी/रायगढ़। पूंजीपथरा राइनो को रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर अरुण ढाबा गेरवानी के लिए रवाना किया गया जहां मोटर साइकिल पर बंजारी मंदिर दर्शन करने जा रहे तीन लोगों को अज्ञात वाहन द्वारा ठोकर मार दिया गया था जिसे अंजोर चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी ठेंगापाली पुसौर को गंभीर चोटें आई तथा मोटरसाइकिल पर सवार दमयंती साव पिता अनिल कुमार साहू उम्र 19 साल निवासी औरदा पुसौर एवं भारती साहू पिता सम्मत साव उम्र 20 वर्ष निवासी औरदा दोनों को सामान्य चोटे आई है। आहतों को डायल 112 स्टाफ द्वारा ईआरवी वाहन से केजीएच ले जाया जा रहा था रास्ते में 108 संजीवनी वाहन मिलने पर आहतों को संजीवनी वाहन में शिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया है।

घरघोड़ा पुलिस ने खुड़खुडिया खेलते 06 आरोपियों को पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। घरघोडा पुलिस द्वारा दिनांक 05.10.19 को ग्राम केराखोल जंगल पेंड के नीचे खुडखुडिया पट्टी पर जुआ खेलते जुआडियान को पकड़ने घेराबंदी किया गया। कुछ जुआडीयान पुलिस को देखकर भाग गये, जुआडियान 1. किशोर कुमार सिदार पिता पुनीलाल सिदार उम्र 37 वर्ष सा0 नवापाली थाना बरमकेला, 2. डिग्रीलाल पटेल पिता आनंद उम्र 48 वर्ष सा0 समकेरा थाना तमनार, 3. सुरेन्द्र कुमार राठिया पिता परशुराम उम्र 34 वर्ष सा0 कया, 4. धनंजय गिरी पिता कन्हई गिरी उम्र 30 वर्ष सा0 पोरडा, 5. भजन लाल राठिया पिता घसियाराम राठिया उम्र 33 वर्ष सा0 बनई, 6. राजेश कुमार राठिया पिता राम लाल उम्र 34 वर्ष सा0 बनई थाना घरघोडा को घरघोड़ा पुलिस ने पकड़ा जिनके फड से 800 रूपये एवं पास से 2300 रूपये कुल जुमला रकम 3100 रूपये एवं 06 नग खुडखुडिया गोटी, पट्टी, एक बांस की टोकरी, एक प्लास्टिक की बोरी को जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

» डॉयल 112 स्टाफ ने की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कापू अन्तर्गत निवासरत महिला द्वारा दिनांक 05.10.19 के दोपहर करीब 14:00 बजे डॉयल 112 को कॉल कर छेडखानी, मारपीट की सूचना दी। सूचना रायपुर कमॉड कन्ट्रोल द्वारा कापू राइनो को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया गया। मौके से आरोपी रामसिंह को हिरासत में लेकर कापू राइना स्टाफ थाना लेकर आयी। पीडिता द्वारा थाना कापू में छेड़खानी और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीडिता ने बताया कि दोपहर करीब 02:00 बजे अपने घर से बाल्टी लेकर कुंआ में पानी लेने जा रही थी रास्ते पर रामसिह पहले से खड़ा था, गली सूना था जिसका फायदा उठाते हुये रामसिह इसका हाथ पकड़ कर घर की ओर ले जाने के लिये खींच रहा था। महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट किये। जैसे तैसे आरोपी से खुद को छुडाकर पीडिता घर पहुंची और अपने पति व डॉयल 112 को घटना की सूचना दी। पीडिता के रिपोर्ट पर थाना कापू में अप.क्र. 95/19 धारा 323, 354 भादंवि दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

गोली मारकर युवक की हत्या

बलौदाबाजार (आरएनएस)। भाटापारा के सुरखी रोड के पास एक युवक की खुन से सनी लाश मिली है। युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। फिलहाल पुलिस मामलें की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम कामता बघेल है, जो संत रविदास वार्ड भाटापारा का रहने वाला था। रविवार को ग्रामीणों ने उसकी खुन से सनी लाश देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की लाश को पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार मौक से कारतूस के खाली खोखे मिले है जिससे प्रतीत होता है कि युवक को देशी कट्टे से गोली मारी गई है। घटना की संवेदशीलता को देखते हुए क्षेत्र की एसपी खुद मौके पर पहुंचकर जांच कर रहीं हैं। मामले में भाटापारा ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

फरार आरोपी अजय कबाड़ी को जुटमिल पुलिस ने किया गिफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा अवैध कबाड के विरूद्ध अभियान चलाकर अवैध कबाड परिवहन तथा अवैध कबाड के गोदामों में छापेमारी की गई तथा मौके पर मिले आरोपी के साथ अवैध व्यापार को संचालित करने वालों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है।

अवैध कबाड परिवहन एवं संग्रहण पर कार्यवाही के दौरान दिनांक 28/8/19 को जुटमिल

प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में जुटमिल पुलिस द्वारा अमलीभौना में कबाड गोदाम में छापेमारी की गई थी। गोदाम में लोहा, गाड़ी के पार्ट्स, स्क्रैप, सहित भारी मात्रा में कबाड़ का सामान बरामद किया गया एवं मौके पर उपस्थित मिले रतन झा पिता राम नारायण झा उम्र 51 साल निवासी सांगीतराई से पूछताछ किया गया जिसमें उसने गोदाम मालिक अजय सिंह निवासी कालिंदीकुंज का होना बताया था।

आरोपी रतन झा से अवैध कबाड जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 41(1-4)सीआरपीसी/379 आईपीसी के अंतर्गत कार्यवाही किया तथा प्रकरण में गोदाम मालिक अजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था जो गिरफ्तारी के भय से पुलिस से लुक-छिप रहा था जिसकी जुटमिल पुलिस द्वारा सघन पतासाजी की जा रही थी कि आज दिनांक 06/10/19 को फरार आरोपी अजय सिंह पिता दानी सिंह उम्र 45 साल निवासी कालिंदी कुंज चौकी जुटमिल को मुखबिर सूचना पर गिफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

सरपंच ने अपने सास के नाम ही आहरण करवा दी दूसरे की राशि, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदिका श्रीमती छाया सिदार पति धनीराम सिदार उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम साल्हेओना के नाम से थाना चक्रधरनगर के ग्राम साल्हेओना में प्रधानमंत्री योजना अन्तर्गत रकम आबंटन किया गया था जिसे ग्राम सरपंच श्रीमती रामवती सिदार के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपनी सास छाया सिदार पति विक्रम सिदार के नाम से आहरित करवा कर प्रार्थिया के साथ व शासन के साथ छल-कपट किया गया । जनपद पंचायत में जांच के बाद उक्त राशि को सरपंच को जमा करने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु राशि जमा नहीं कराई। ग्राम साल्हेओना के सरपंच श्रीमती

रामवती सिदार के द्वारा स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाने व प्रार्थिया को शासन द्वारा आबंटित राशि आबंटित न कर शासन व प्रार्थिया के साथ धोखाधडी करना पाये जाने पर आवेदिका के आवेदन पत्र से आरोपिया के विरूद्ध अप.क्र. 382/19 धारा 420 भादंवि दर्ज किया गया है। आवेदिका के शिकायत पत्र की जांच पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ द्वारा भी की गई है।

जशपुर जज की कार दुघर्टनाग्रस्त, सात घायल

जशपुर (आरएनएस)। अपने परिवार के साथ वापस जशपुर लौट रहे जशपुर जज की कार एक मंदिर से जा टकराई। इस दुघर्टना में कार सवार सात लोग घायल हो गए है। जिनमें से जज की पत्नि और बेटे सहित चार लोगों को गंभीर चोटें आई है।

मिली जानकारी के अनुसार डिंडोरी में पदस्थ जज अपने परिवार के साथ रविवार को अपने निवास स्थान जशपुर जा रहा था इसी एनएच-343 में उनकी कार दुघर्टनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है जज की वाहन

सीधे मंदिर से जा टकराई, इसके बाद कार में आग भी लग गई। कार में जज के साथ पत्नी बच्चे सहित परिवार के सात लोग मौजूद थे। इस दुघर्टना में कार में सवार सभी 7 लोगों को चोटें आई है। वहीं पत्नी और बेटी सहित चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के पास से करीब 1 लाख 80 हजार रुपए के वाहन बरामद, सारंगढ़ पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए.के. खान के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा चोरी की बाईक घर पर छुपाकर रखे होने की सूचना पर छापेमारी किया गया। आरोपी के घर से चोरी की 04 बाईक के साथ आरोपी को पकड़ा गया है।

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सारंगढ़ के कुशलनगर में रहने वाला विजय शंकर उर्फ विक्की साहनी पिता सुंदरलाल उम्र 29 साल अपने घर पर चोरी की

बाईक छिपाकर रखा है। सूचना पर निरीक्षक खान के हमराह प्रधान आरक्षक जयराम सिदार, आरक्षक पुरूषोत्तम राठौर, गणेश पैंकरा संदेही के घर जाकर दबिश दिये। आरोपी के घर से 04 बाईक CG-06-GF-0137, CG13-J-1199, CG06-G-1995, CG13 G-3826 जुमला कीमती करीब 1,80,000 रूपये का मिला है। आरोपी कई दिनों से उक्त बाईक चोरी कर अपने घर पर छिपाकर रखा था। आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में इस्तगासा धारा 41(1+4) सीआरपीसी/ 379 आईपीसी की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

सूने मकान से सोने के आभूषण सहित 30 हजार की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर में दिनाक 05/10/19 को सेमीभांवर का निवासी बलराम साव पिता पंचमनाथ साव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनाक 05/10/19 के सुबह 8:30 बजे रायगढ काम से निकल गया था। इसकी पत्नी सुबह आंगनबाडी अपने काम पर गई थी। करीब 12 बजे इसका लड़का घर आया तो देखा घर का मेन गेट खुला था अन्दर जाकर देखा तो अलमारी एवं लाकर खुला था और पेटी बिखरे पड़े थे।

कोई अज्ञात चोर घर से सोने के आभूषण करीब 30- 35 हजार रूपये का चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना पुसौर में अप.क्र. 177/19 धारा 454,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

आज दिनांक दिनांक 06.10.19 को चौकी खरसिया में सहायक लोक अभियोजक खरसिया श्रीमती अंजु गुप्ता द्वारा अपने घर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसके अनुसार रिपोर्टकर्ता दिनांक 05.10.2019 को 11:00 बजे अपने पी.डब्ल्यू.डी कार्यालय के पास स्थित शासकीय आवास को बंद कर खरसिया कोर्ट ड्यूटी पर गई थी दोपहर 02:00 बजे घर वापस आई और देखी तो कमरे में रखे अलमारी का दरवाजा खुला था जिसमें रखे एक पर्स अंदर का 14000/रू नगदी, स्टेट बैंक ए.टी.एम. कार्ड, एक जोडी पायल, अन्य सरकारी कागजात को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था, जिसके मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 425/19 धारा 454,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

रोड किनारे काटपत्ती खेल रहे 5 जुआरियों को धरमजयगढ़ पुलिस ने पकड़ा

» जुआरियों से 60 हजार रूपये जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले के हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर पीपरमार जाने वाली रोड किनारे स्ट्रीक लाईट के नीचे काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे जुआडियान को घेराबंदी कर पकडा। जुआडियान 1. मोहसीन खान पिता सलमान खान उम्र 34 वर्ष सा.धरमजयगढ 2. विपीन अग्रवाल पिता कैलाश अग्रवाल उम्र 30 वर्ष सा0 नीचेपारा धरमजयगढ 3. विकाश चेनानी पिता गुरूदास चेनानी उम्र 26 वर्ष सा0 धरमजयगढ वार्ड नं0 07 4. समय अग्रवाल पिता नरेन्द्र अग्रवाल उम्र 19 वर्ष सा.नीचेपारा वार्ड नं0 11 5. गोविन्द राम पटेल पिता स्व.चन्द्रपति पटेल उम्र 43 वर्ष सा.पीपरमार धरमजयगढ से जुमला रकम 60,000 रू. एवं 52 पत्ती तास व एक बीछा हुआ कम्बल वजह सबूत जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना धरमजयगढ़ में 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

हाथियों को भा गया कटघोरा वनमंडल 60 हाथियों का दल कर रहे विचरण

कोरबा (आरएनएस)। लगता है कोरबा के बाद अब हाथियों को कटघोरा वनमंडल रास आ गया है। जहां बीते कुछ महीनों से

हाथियों का दल वनमंडल कटघोरा में विचरण कर जानमाल की क्षति पहुँचा रहा है। इन दिनों भी लगभग 60 हाथियों का दल ग्रामीण इलाकों के आसपास जंगलों में विचरण करते देखे जा रहे है जो किसानों के खेतों में लगे धान की फसलों को अपने पैरों तले रौंद बुरी तरह नष्ट कर रहे है। वर्तमान में अलग-अलग झुंड में 40 हाथी का समूह केंदई रेंज में मंडरा रहे है जो पोडीखुर्द एवं कोरबी इलाके के समीप जंगल में डेरा जमाए हुए है तथा बड़ी संख्या में खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुँचा चुके है।

इन हाथियों के आमद से प्रभावित ग्रामीणजन काफी भयभीत है। वनअमला भी हाथियों पर लगातार नजर रखा हुआ है तथा ग्रामीणों को सावधानी बरतने हेतु सतर्क किया जा रहा है। केंदई परिक्षेत्राधिकारी अश्वनी चौबे ने बताया कि मौजूदा समय में जिन हाथियों का दल विचरण कर रहा है वह दिन में जंगल तथा शांझ ढलते ही जंगल के आसपास बसे रहवासी इलाके की ओर रुख कर रहे है। जहाँ खेतों में लगाई गई धान की फसल को भी नुकसान पहुँचाया गया है। प्रभावित किसानों के हुए क्षति का आंकलन किया जा रहा है और साथ ही उन्हें जंगल की ओर ना जाने हिदायत दी जा रही है एवं सावधानी बरतने उन्हें लगातार सतर्क किया जा रहा है। दूसरी ओर इन हाथियों के जटगा रेंज के सीमा में दस्तक को लेकर रेंजर मोहर सिंह मरकाम द्वारा अपने वनअमला के माध्यम से हाथी प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने कहा गया है। तथा जानमाल की सुरक्षा को लेकर हाथियों के गतिविधि पर रेंजर मरकाम द्वारा लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। फिलहाल हाथियों का दल अभी केंदई रेंज में विचरण करने के साथ जटगा रेंज की सीमा में भी पहुँच चुका है।

मावली मंदिर में 9 दिनों तक पुरूषों का प्रवेश निषेध होता है

» बस्तर दशहरा

जगदलपुर अक्टूबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा पर्व के दौरान मावली मंदिर में नौ दिनों तक ऐसा अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें पुरूषों का प्रवेश निषेध होता है। दो समाजों की 12 सुहागिन महिलाएं गौरा-गौरी की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूजा के दौरान कक्ष का कपाट बंद रहता है और पुरूषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। 9 दिनों के अनुष्ठान उपरांत महिलाओं द्वारा स्थापित कलश व प्रतिमा का नवमीं तिथि को विसर्जन किया जाता है।

रियासतकाल में महिलाएं रानी को प्रसाद खिलाती थीं

पौराणिक मान्यता अनुसार देवी गौरी में ही

महादेव के क्रोध का शमन करने की शक्ति है। रियासत काल से दशहरा पर्व व नवरात्रि के दौरान गौरा-गौरी पूजा चल रही है। उस समय 12 जातियों की सुहागिनों को पूजा-अनुष्ठान की जि मेदारी दी गई थी। वर्तमान में धाकड़ व यादव समाज की 12 महिलाओं द्वारा इस परपंरा का निर्वहन किया जा रहा है। रियासत काल में सुहागिनें विसर्जन के बाद प्रसाद लेकर महल पहुंचती थीं। रानी को प्रसाद दिया जाता था। रानी की ओर से व्रतधारी महिलाओं को सुहाग सामग्री वस्त्र व अन्य प्रकार का उपहार प्रदान किया जाता था। सिरासार चौक स्थित मावली मंदिर में गौरा-गौरी पूजा संपन्न की जाती है।

लकड़ी के पाटे पर स्थापित होती है प्रतिमा

नवरात्रि के प्रथम दिन कु हार द्वारा निर्मित मिट्टी से बने गौरा-गौरी की प्रतिमा एक लकड़ी के पाटे पर कलश के साथ स्थापित की जाती है साथ ही केले व आम के पत्तों से बंदनवार सजाया जाता है और गेंहू, धान व चना की भोजली भी उगाई जाती है। इस प्रकार गौरा-गौरी के रूप में भगवान शिव-पार्वती का पूजन नौ दिनों तक चलता है। अनुष्ठान में खास बात यह है कि पूजा के दौरान केवल सुहागिन महिलाओं को छोड़ पुरूषों का प्रवेश वर्जित होता है, हांलाकि इसके कारण के बारे में कोई स्पष्ट मान्यता ज्ञात नहीं है। नवमीं के अनुष्ठान बाद महिलाएं गाजे-बाजे व शंख ध्वनि के साथ प्रतिमा व कलश विसर्जन करती हैं।

सोमवार को चलेगा आठ पहियों वाला दुमंजिला रैनी रथ

मालवी परघाव पूजा विधान के संपन्न होने के साथ ही मंगलवार को भीतर रैनी पूजा विधान संपन्न होगा। मांई दंतेश्वरी के मंदिर में परंपरा नुसार पूजा विधान संपन्न होने के पश्चात संध्या 5 बजे आठ पहियों वाली दुमंजिला रथ जिसे रैनी रथ कहा जाता है, की परिक्रमा मांई दंतेश्वरी के छत्र आरूढ़ कर की जाएगी। रैनी रथ का संचालन किलेपाल परगना के गोंड आदिवासियों के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। भीतर रैनी पूजा विधान तथा रैनी रथ परिक्रमा के पश्चात रात्रि में आठ पहियों वाले दुमंजिला रैनी रथ को चुराकर कु हड़ा कोट ले जाने की परंपरा का निर्वहन भी किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480